अध्याय 2

कांजीहौस और कांजीहौस के रखवाले

धारा 4. कांजीहौस की स्थापना - कांजीहौस ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जिनके बारे में जिला दंडाधिकारी, राज्य सरकार के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन, समय-समय पर निर्देश दे।

इस बात का अवधारण कि प्रत्येक कांजीहौस किस ग्राम द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

धारा 5. कांजीहौस का नियंत्रण, परिबद्ध पशुओं की खिलाने के लिये प्रभारों की दरें - कांजीहौस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे और परिबद्ध पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिये प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय-समय पर परिवर्तन कर सकेंगे।

धारा 6. कांजीहौस रखवालों की नियुक्ति - राज्य सरकार प्रत्येक कांजीहौस के लिये एक कांजीहौस रखवाला नियुक्त करेगी।

(2) कोई कांजीहौस रखवाला, एक ही समय पर सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा।

(3) प्रत्येक कांजीहौस रखवाला भ. द. स. (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

कांजीहौस रखवालों के कर्त्तव्य

धारा 7. पंजियां रखना व विवरणियाँ देना - प्रत्येक कांजीहौस रखवाला ऐसी पंजी रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जैसी राज्य शासन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

धारा 8. अभिग्रहणों को पंजी करना - जब पशु कांजीहौस में लाये जावें तक कांजीहौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा :

(क) लाये पशुओं की संख्या और वर्णन,

(ख) वह दिन और समय जब वे वहाँ लाये गये,

(ग) अधिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान तथा

(घ) स्वामी का, यदि ज्ञात हो, नाम व निवास स्थान तथा अभिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा।

धारा 9. पशुओं का भार ग्रहण करना और उन्हें खिलाना - कांजीहौस रखवाला पशुओं का तब तक कि उनका इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट रूप में व्ययन नहीं कर दिया जाता, भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलायेगा और पिलायेगा।